न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — आशीष गुप्ता, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
28/अपील/19	23.01.2019	10.08.2020

नन्दकिशोर आ0 कजोड़ जाति कहार,
निवासी ग्राम बगली, तहसील एवं जिला बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री अशोक वशिष्ठ, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.18 (मिसल संख्या 598/2018) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को विधिविरूद्ध बताते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित कर सिविल

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

सजा के दण्ड से दण्डित किया। जिससे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। ऐसे में अपीलांट अपने अधिकारों से वंचित हो गया। पटवारी हल्का ने मौके पर कब्जे की जांच किये बिना ही अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश कर दी गई जबकि अपीलांट का उक्त भूमि के किसी भूभाग पर कभी कब्जा नहीं रहा है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। निर्णय के बाद आरोपित शास्ति अपीलांट द्वारा जमा करवा दी है, वर्तमान में उक्त भूमि बाबत अपीलांट पर कोई राशि राजकोष में जमा से शेष नहीं है। अपीलांट को किसी प्रकार का बेदखली का आदेश नहीं दिया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उसको पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी माने जाने में कानूनी त्रुटि की है। चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया है तथा पेनल्टी राशि जमा करवा दी है, अपीलांट अब उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं करेगा। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कठोॅर दण्ड सिविल सजा को निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.18 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी सिवायचक भूमि है। अपीलांट बार बार अतिचार करने का आदी है, अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि रिपोर्ट पटवारी से होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया जाना बताया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को दिनांक 01.02.18 को विधिवत नोटिस दिया गया था, जो अपीलांट के मकान पर चस्पानगी से तामील होना अंकित है। ऐसे में सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का अपीलांट का आरोप निराधार प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट ने भूमि खसरा संख्या 245 रकबा 8 बीघा किस्म गे0मु0दर्डा सिवायचक वाके ग्राम बगली पर संवत् 2074 मौसम रबी में गेहूँ की फसल काश्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली, फसल नीलामी, 1000/- रू. शास्ति तथा तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अतिक्रमी द्वारा संवत् 2074 मौसम खरीफ में भी उड़द की फसल कर उक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिस पर से अतिकमी को पूर्व में भी बेदखल किया गया था। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट बार बार अतिचार करने के आदी है। अपीलान्ट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी होने की पुष्टि न्यायालय तहसीलदार बून्दी की पत्रावली सं. 2479/17 निर्णय दिनांक 12.10.17 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति से होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी सिवायचक भूमि है, उक्त भूमि पर कब्जा करने का अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। ऐसे में **08** बीघा सिवायचक भूमि पर से अपीलांट का अतिक्रमण हटाया जाना तथा पश्चातवृत्ति अतिक्रमी होने से सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस एवं सुनवाई का अवसर देकर एवं अपीलान्ट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी पाये जाने पर समस्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी